भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3201
उत्तर दिनांक 21/08/2025 को दिया गया

परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी भागीदारी

3201. श्री ए. ए. रहीम

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या मंत्रालय देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में विदेशी निवेशकों सहित निजी संस्थाओं की भागीदारी पर विचार कर रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी भागीदारी को सुगम बनाने के लिए इस संबंध में किए गए परामर्श, प्रस्तावित संस्थागत परिवर्तन सहित कौन-कौन से विशिष्ट कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने परमाणु सुरक्षा, उत्तरदायित्व और सार्वजनिक जवाबदेही पर ऐसी भागीदारी के प्रभावों के संबंध में कोई जोखिम मूल्यांकन या हितधारकों से परामर्श किया है, यदि हाँ, तो ऐसे मूल्यांकनों के परिणाम क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय ऐसा अध्ययन करने के लिए तैयार है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) , (ख), (ग) व (घ) वर्ष 2025-26 के लिए घोषित विकसित भारत के लिए नाभिकीय ऊर्जा मिशन में वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन की योजना बनाई है और परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 तथा नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व (सीएलएनडी) अधिनियम, 2010 में संशोधन करके निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति दी गई है। इस संबंध में, विभाग ने निजी क्षेत्र द्वारा नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन, नाभिकीय संरक्षा, सुरक्षा, संरक्षोपायों ईंधन प्रापण/विनिर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन और विकमीशनन जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। हालाँकि, नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी भागीदारी सरकार की मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार होगी।

*****